दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 514/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा में थाना समाधान दिवस पर जनसुनवाई कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 08.08.2026 को "थाना समाधान दिवस" के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा पहुँचकर क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की गई। यह जनसुनवाई प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर महोबा श्री मनीष कुमार पाण्डेय एवं अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा सभी शिकायतों के निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया गया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर प्राप्त शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना पनवाड़ी में पहुंचकर जनसुनवाई की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना अजनर में पहुंचकर जनसुनवाई की गई। तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना खन्ना में जनसुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 515/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह थाना पनवाड़ी द्वारा गठित टीम के उ0नि0 नरेन्द्र कुमार मय हमराह का0 उमेशचन्द्र द्वारा क्षेत्र भ्रमण, विवेचना एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त नीरज अहिरवार पुत्र श्रीपत अहिरवार, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम बैंदो थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. का0 उमेशचन्द्र थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरज अहिरवार पुत्र श्रीपत अहिरवार, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बैंदो थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 516/26

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को साइबर अपराधों से निपटने हेतु दिया गया विशेष प्रशिक्षण।

आज दिनांक 08.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्री अनुरुद्ध कुमार की अध्यक्षता में तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स महोबा स्थित सभागार में रिक्रूट आरक्षीगण को साइबर अपराधों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रिक्रूट आरक्षियों को वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, ओटीपी ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी वेबसाइट/ऐप के माध्यम से ठगी आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्य के सुरक्षित संकलन एवं तकनीकी जांच की प्रक्रिया के विषय में भी प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्षता कर रहे क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्री अनुरुद्ध कुमार द्वारा बताया गया कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों के प्रति पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं सजग रहना आवश्यक है, जिससे आमजन को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

उक्त प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों को साइबर अपराधों की प्रकृति, कार्यप्रणाली एवं उनसे निपटने के उपायों के प्रति सक्षम बनाना है, ताकि वे भविष्य में अपनी ड्यूटी के दौरान इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकें।

महोबा पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करने हेतु लगातार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 517/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 08.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना पनवाड़ी में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, अपहृताओं की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं विभिन्न अभियानों की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया गया।

इस दौरान उपस्थित थानाध्यक्ष एवं समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार समीक्षा करते हुए निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, NBW की शत-प्रतिशत तामील एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी क्षेत्र में सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनके समाधान हेतु आश्वस्त किया गया।

दिनांक- **08.08.2026**

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- **518/26**

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने डी.पी. एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 08.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 142/2026 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP Act से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.जगत सिंह पुत्र करन उम्र करीब 26 वर्ष, 2.करन पुत्र खलक उम्र करीब 52 वर्ष, 3.श्रीमती सुमित्रा पत्नी करन उम्र करीब 50 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम टिकरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जगत सिंह पुत्र करन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

2.करन पुत्र खलक उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

3.श्रीमती सुमित्रा पत्नी करन उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्रा

2.म0उ0नि0 मालती साहू

3.कां0 नरेन्द्र कुमार

4.कां0 भरत सिंह

5.रि0म0कां0 नीलू देवी

दिनांक- 08.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 519/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस की तत्पर कार्यवाही से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में ₹1,00,814/- की धनराशि कराई गई वापस...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में आवेदक विमल कुमार निवासी जेल के पीछे, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्बन्ध में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत की जांच के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/डिजिटल माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की ₹1,00,814/- (एक लाख आठ सौ चौदह रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

अपनी पूरी धनराशि वापस प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा थाना कोतवाली नगर पर उपस्थित होकर उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

जनपद महोबा पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराध की किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित को राहत प्रदान की जा सके।

साइबर अपराध से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव–

- किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर OTP, ATM पिन या बैंक विवरण साझा न करें।
- सोशल मीडिया/मैसेजिंग ऐप पर आए लालच भरे ऑफर से सावधान रहें।
- ऑनलाइन लेन-देन से पहले वेबसाइट/ऐप की प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें एवं अपने उपकरणों में अपडेटेड सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल NCRP पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

वापस कराने वाली पुलिस टीम–

1.SHO कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय

2.म0उ0नि0 शिवांगी प्रजापति